भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–144/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
11.11.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुआ का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, सोनुआ को स्मारित करें। अगली तिथि 25.01.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 25.01.2019 को उपस्थापित करें। 11.11.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
25.01.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुआ का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, सोनुआ को स्मारित करें। अगली तिथि 30.05.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 30.05.2020 को उपस्थापित करें। 25.1.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
30.05.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुआ का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, सोनुआ को स्मारित करें। अगली तिथि 21.07.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 21.07.2020 को उपस्थापित करें। 30.5.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
21.07.2020	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **सोनुआ** के पत्रांक–210, दिनांक–08.07.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक–10.07.2020 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **सोनुआ** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **श्री बिनोद बिहारी नायक**, पिता–**स्व० सुरेन्द्र नायक**, जाति–**गोंड (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**टुनिया**, थाना–**सोनुआ**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, **सोनुआ** के प्रतिवेदनानुसार आवेदित आवासीय/कृषि भूमि मौजा–**टुनिया**, थाना नं0–**571**, खाता नं०–**110**, खेसरा नं0–**376**, रकवा–**0.15 ए0** भूमि क्रेता **श्री अनिकेश सुम्बरुई**, पिता–**स्व० बुर्जु सुम्बरुई**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**बेलपोश**, पो0–**टुनिया**, थाना–**सोनुआ**, जिला–**प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **श्री बिनोद बिहारी नायक**, पिता–**स्व० सुरेन्द्र नायक**, जाति–**गोंड (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**टुनिया**, पो0–**टुनिया**, थाना–**सोनुआ**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता थाना– **सोनुआ**, जिला– **प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता का जाति–**गोंड (अ.ज.जा.)** एवं क्रेता का जाति–**हो (अ.ज.जा.)** समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि **बीमारी का ईलाज हेतु** बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **सोनुआ** अंचल अंतर्गत **रकवा 2.50 ए0** अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **सोनुआ** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **श्री बिनोद बिहारी नायक**, पिता–**स्व० सुरेन्द्र नायक**, जाति–**गोंड (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**टुनिया**, पो0–**टुनिया**, थाना–**सोनुआ**, जिला **प० सिंहभूम** उक्त भूमि क्रेता को **1,50,000/– (एक लाख पचास हजार)** रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शुल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। 21.7.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	